न्यायालयः— विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड म०प्र० (समक्षः पी०सी०आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण<u>कमांकः 73 / 2015</u> संस्थित दिनांक—09.01.2012 फाईलिंग नंबर—230303009442012

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा— आरक्षी केन्द्र एण्डोरी, जिला—भिण्ड (म०प्र०)

---अभियोजन

वि रू द्ध

- रामनिवास पुत्र कल्याणिसंह गुर्जर उम्र 35 साल निवासी खुड़ी थाना सिहौनियाँ
- वकीलसिंह पुत्र दुलारेसिंह उम्र 45 साल निवासी ग्राम बरौना थाना एण्डोरी

---- आरोपीगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक आरोपी रामनिवास द्वारा श्री के०पी०राठौर अधिवक्ता आरोपी वकीलसिंह द्वारा श्री एस०एस० तोमर अधिवक्ता

—::— <u>निर्णय</u> —::— (आज दिनांक **22 मार्च—2016** को खुले न्यायालय में घोषित

- 1. अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 392/397/34 भा०द०वि० सहपिटत धारा—11/13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट 1981 के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 29.04.2011 के 10.15 बजे बरौना बारहहेट रोड़ थाना एण्डोरी के डकैती प्रभावित क्षेत्र में अपने सह आरोपियों के साथ एक राय होकर अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में अधिया दिखाकर परिवादी राजवीर सिंह से मोटरसाईकिल, सोने की चैन और मोबाईल लूटा।
- 2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि घटना दिनांक 29.04.2011 को घटनास्थल इटायली गेट के पास गोहद मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक—एफ— 91.07.81 बी—21 दिनांक 19.05.1981 की अनुसूची के कॉलम क्रमांक—2 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के प्रभावशील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था। प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि फरियादी राजवीरसिंह शासकीय सेवक होकर शिक्षक है जिसकी वर्तमान में बीनागंज जिला गुना में पद स्थापना है और साक्षी सोवरन उसका भाई है। यह भी निर्विवादित है कि सह अभियुक्त राकेश पुत्र रामदुलारे को पूर्व न्यायाधीश महोदय द्वारा दि० 14.03.14 को पारित आदेशानुसार प्रकरण की कार्यवाही से उन्मोचित किया जा चुका है।

- 3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि फरियादी राजवीरसिंह दिनां 29.04.11 को अपनी मोटरसाईकिल क्रमांक-एम0पी0-08एम0डी0-4098 से घर से बाराहेट जा रहा था तो बरोना से करीब एक किलोमीटर आगे निकल पाया होगा कि पीछे से एक मोटरसाईकिल काले रंग की पुल्सर जैसी जिसपर तीन लोग आये और उसके आगे निकलकर दो लडकों ने अधिया निकालकर सामने लगाकर खडे हो गये। तो उसने गाडी रोक दी। और उससे मोटरसाईकिल छुडा ली। गले से सोने की चैन वजनी करीब 12 ग्राम की तोड ली और उसका मोबाईल नोकिया 1600 नंबर-9977134482 लगी थी को उसके पेन्ट की जेब से निकाल लिया। तब तक एक सफारी जीप आयी तो उसे देखकर भाग गये। तब उसने जीपवालों को बताया तो जीप वाला भी पीछे चला गया। तब एक राहगीर के फोन से घर सूचना दी। उन तीनों लडकों का ह्लिया उसने बताते हुए उनकी गाडी का नंबर न देख पाना बताया । उसके बाद उसकेभाई के आने पर उसने रिपोर्ट थाना एण्डोरी पर की ।
- उक्त आशय की रिपोर्ट थाना प्रभारी एण्डोरी को करने पर अप०क०-57/2011 4. पर धारा—392 भा0द0वि० एवं 11/13 एम0पी0डी०व्ही०पी०के० एक्ट का पंजीबद्ध किया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।
 - 5. 🥒 अभियोग पत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 392 / 397 / 34 भा०द०वि० एवं धारा—11 / 13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट 1981 के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण ने झूंठा फंसाये जाने का आधार लिया है। आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।
- 6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :--
 - क्या आरोपीगण ने दिनांक 29.04.11 को बरौना बाराहेड रोड पर डकैती प्रभावित क्षेत्र होते हुए फरियादी राजवीरसिंह की लूट कारित करने के आशय से आपस में मिलकर सामान्य आशय निर्मित किया?
 - क्या उक्त स्संगत दिनांक समय व स्थान पर आरोपीगण ने सुबह करीब सवा दस 2. बजे उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी राजवीरसिंह को अवैध शस्त्र अधिया का उपयोग करते हुए उसके आधिपत्य की मोटरसाईकिल, गले में पहनी सोने की चैन और मोबाईल फोन की लूट कारित की?
 - क्या आरोपीगण ने उक्त लूट की घटना फरियादी राजवीरसिंह को मृत्यू या घोर 3. उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ कारित की?

<u>—::-निष्कर्ष के आधार</u> :-विचारणीय प्रश्न कमांक— 1 लगायत 3 का निराकरण

उक्त विचारणीय विंदुओं का सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो इसलिए एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है। प्रकरण में साक्षियों के परीक्षण के दौरान प्र0पी0-2 के रूप में दो दस्तावेज अंकित हो गये हैं जिसमें घटनास्थल का नजरीय नक्शा एवं आरोपी रामनिवास से की गई जप्ती का जप्ती पत्रक प्र0पी0–2 के रूप में अंकित हो गये हैं इसलिये साक्ष्य के विश्लेषण में कोई भ्रम उत्पन्न न हो, इस दृष्टि से जप्ती पत्रक को प्र0पी0—2 ए के रूप में विश्लेषण में लिया जा रहा 8. परीक्षित साक्षियों में से घटना का सर्वाधिक महत्व का साक्षी राजवीरसिंह जो कि फरियादी है, उसने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि दिनांक 29.04.11 को सुबह करीब सवा बजे का समय था जब वह अपनी मोटरसाईकिल हीरोहोण्डा सीडी डीलक्स मेहरून रंग जिसका कमांक—एम0पी0—08एमडी—4098 से अपने घर ग्राम कदमन का पुरा से ग्राम बाराहेड के लिये जा रहा था। रास्ते में जब वह बरौना से थोड़ा आगे निकले तब काले रंग की मोटरसाईकिल पर तीन लोग सवार होकर आये और उसकी मोटरसाईकिल रूकवा ली फिर उनमें से एक व्यक्ति उसकी मोटरसाईकिल के पास आकर खड़ा हो गया। शेष दो व्यक्तियों ने उस पर अधिया लगा दी। उसके बाद एक व्यक्ति अधिया लगाये रहा। दूसरे ने उसके गले में पहनी सोने की चैन छीन ली औ उसका नोकिया मोबाईल नंबर—1600 तथा मोटरसाईकिल भी छुड़ा ली। फिर दो व्यक्ति उसके पास खड़े रहे और तीसरा मोटरसाईकिल लेकर चला गया। उसकी मोटरसाईकिल भी ले गये। उसके बाद एक जीप आई जिससे उसने सहायता मांगी और लूट करने वालों को

पकड़ने के लिये पीछा करने को कहा लेकिन वह पकड़ में नहीं आये तो वह जीप से उतर गया था। फिर दूसरी टैक्सी में बैठे एक व्यक्ति से उसने फोन मांगकर अपने घर भाई सोवरन को घटना की जानकारी दी थी। उसका भाई मोटरसाईकिल लेकर आ गया था। फिर उसने भाई के

साथ थाने जाकर घटना की प्र0पी0-1 की रिपोर्ट लिखाई थी।

3

- 9. उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि लूट करने वाले व्यक्तियों में से जो व्यक्ति उसकी मोटरसाईकिल पर खड़ा रहा था। वह छोटे कद का और जिसने लूट की थी उनमें से एक लंबा सांवले रंग का हट्टा—कट्टा था। दूसरा काले रंग का पतला सा था किन्तु वह उन्हें सामने आने पर नहीं पहचान सकता है क्योंकि ठीक से नहीं देख पाया था। यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसकी निशादेही पर प्र0पी0—2 का नक्शामौका बनाया था। उसका यह भी कहना रहा है कि आरोपीगण की पहचान पुलिस ने उससे नहीं कराई थी। और उसने पुलिस को आरोपी और उसके पिता का नाम नहीं बताया था। रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के नाम से की थी। आरोपी वकीला को भी उसने पुनः परीक्षण दिनांक 09.02.16 को भी पहचानने से इन्कार करते हुए यह कहा है कि वह लूट करने वालों में शामिल नहीं था। समझौते की बात से भी इन्कार कर पुलिस को प्र0पी0—6 के मजीद कथन में आरोपी रामनिवास को बाद में पहचान लेने की बात लिखाने से इन्कार करते हुए इस बात से भी इन्कार किया है कि रामनिवास और वकीला ने मिलकर उसके साथ लूट की थी।
- 10. सोवरनसिंह अ०सा०–2 जो कि फरियादी राजवीर का माई है, उसने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि दिनांक 29.04.11 को उसके छोटे भाई राजवीरसिंह से मोटरसाईकिल, सोने की चैन व मोबाईल की लूट रास्ते में हो गई थी। लूट के बाद राजवीर ने किसी व्यक्ति के मोबाईल से उसे फोन करके घटना बताई थी। फिर वह अपनी मोटरसाईकिल से मौके पर पहुंचा था तथा फरियादी को लेकर थाना एण्डोरी गया था जहाँ राजवीर ने रिपोर्ट लिखाई थी। उसने फोन पर सूचना सबसे पहले करीब नौ बजे मिलना और 15:20 मिनट में मौके पर पहुंच जाना, पांच मिटन मौके पर रूकना एवं एक घण्टे बाद थाने पर पहुंचना बताते हुए रिपोर्ट 11.00 बजे लिखवाना बताया है। तथा यह भी कहा है कि उसके भाई राजवीर ने लूटपाट करने वालों का हुलिया उसे नहीं बताया था और बाद में भी लूटपाट किसने की यह पता नहीं चला। इस साक्षी ने भी पुलिस को कोई मजीद कथन देने से इन्कार करते हुए दिनांक 09.02.16 को आरोपी वकीलसिंह उर्फ वकीला की पहचान के संबंध में हुए प्रतिपरीक्षण में भी पहचानने से इन्कार किया है और इस बात से भी इन्कार किया है कि उसने पुलिस को दिये प्र0पी0–7 के कथन में यह बात बताई थी कि उसके भाई ने बाद में रामिनवास को पहचान लिया था।

- 11. प्र0पी0—1 की एफआईआर लेखबद्ध करने वाले साक्षी हरगोविन्द अ०सा0—6 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि वह दिनांक 29.04.11 को थाना एण्डोरी में एच०सी०एम० के पद पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को फरियादी राजवीरसिंह के द्वारा थाने पर आकर अज्ञात बदमाशों के द्वारा उससे अधिया कट्टा से भयभीत कर मोटरसाईकिल, मोबाईल और सोने की जंजीर की लूट किये जाने के संबंध में रिपोर्ट लिखाई थी जिस पर से उसने प्र0पी0—1 की एफआईआर लेखबद्ध कर अप०क०—57/11 धारा—392 भा०द०वि० सहपठित धारा—11/13 डकैती अधिनियम के अंतर्गत लेखबद्ध की थी। और निरीक्षक योगेन्द्रसिंह अ०सा0—7 ने उक्त दिनांक को ही एफआईआर पश्चात विवेचना प्राप्त होने पर फरियादी राजवीरसिंह की निशादेही पर घटनास्थल पर जाकर प्र0पी0—2 का नक्शामौका तैयार करना बताया है और यह कहा है कि नक्शा बनाते समय आसपास के भूमिस्वामियों को नहीं बुलाया था। मौके पर नक्शामौका बनाते समय और कोई नहीं मिला था।
- उपरोक्त साक्षियों के अभिसाक्ष्य में आये तथ्यों से और खण्डन के अभाव में 12. प्र0पी0—1 की एफआईआर में बताई गई घटना की पुष्टि होती है। जिसमें मूलतः इस घटना की पुष्टि फरियादी ने अपने अभिसाक्ष्य में की है कि वह अपनी मोटरसाईकिल से कदमन का पुरा से बाराहेट तरफ जा रहा था। तब रास्ते में ग्राम बरौना से आगे उसके साथ तीन लोगों के द्वारा लूट की घटना की गई थी जिसमें अवैध शस्त्र दिखाते हुए उससे भय के आधार पर उसके कब्जे की मोटरसाईकिल, नोकिया 1600 मोबाई और सोने की चैन की लूट की। लूटकरने वालों के उसने अपनी रिपोर्ट में हुलिया भी बताये। किन्तु प्र0पी0—1 में लूट करने वालों की उम्र के बारे में उल्लेख नहीं है। हालांकि यह बताया गया है कि लूटकरने वाले तीन लडके थे। एक लंबा सा सांवले रंग का, दूसरा पतले से चेहरे का जो हल्की मूंछ रखे था, तीसरा चश्मा लगाये मोटासा था। किन्त् आरोपियों के गिरफ़तार होने के पश्चात अनुसंधान के दौरान कोई शिनाख्ती की कार्यवाही नहीं कराई गई है। और मजीद कथनों के आधार पर आरोपी रामनिवास का उस घटना में शामिल होना मानते हुए तथा आरोपी रामनिवास का धारा–27 साक्ष्य विधान के अंतर्गत लिये गये मेमोरेण्डम कथन में आरोपी वकीलसिंह उर्फ वकीला का नाम आने के आधार पर तथा की गई जप्ती के आधार पर आरोपीगण को अभियोजित किय गया है। जिसमें से एक आरोपी राकेश को पूर्व में उन्मोचित किया जा चुका है।
- 13. अ०सा०–1 राजवीर व अ०सा०–2 सोवरन के द्वारा मजीद कथन प्र०पी०–6 व 7 में आरोपी रामनिवास को पहचान लेने और उसके लूट में शामिल होने की अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया गया है। इसके बावजूद अभियोजन द्वारा दोनों ही साक्षियों को पक्ष विरोधी घोषित नहीं किया गया है। विधि में यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि कोई साक्षी किसी बिन्दु पर अभियोजन का समर्थन नहीं करता है और अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित नहीं किया जाता है तो उसका अभिसाक्ष्य अभियोजन पर बंधनकारी प्रभाव रखता है। जैसा कि न्याय दृष्टांत **राकेश** विरुद्ध म0प्र0 राज्य 2005 भाग-2 एम0पी0डब्ल्यू0एन0 एस0एन0-46 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। इसलिये उक्त न्याय दृष्टांत के आलोक में अ०सा०–1 व 2 का अभिसाक्ष्य आरोपीगण के विरूद्ध नहीं है। तथा आरोपीगण का लूट की घटना में शामिल होना उनके अभिसाक्ष्य से परिलक्षित नहीं होता है। तथा उनके अभिसाक्ष्य से केवल इस बात की पुष्टि अवश्य होती है कि दिनांक 29.04.11 को सुबह करीब सवा दस बजे ग्राम बरौना और बाराहेड के बीच में आम रास्ते पर फरियादी राजवीरसिंह के मोटरसाईकिल से जाते समय उसके साथ तीन अज्ञात लोगों के द्वारा लूट की घटना करना बताया जो अवैध आग्नेय शस्त्र भी लिये थे जिसका लूट की घटना में उपयोग किया गया। क्योंकि अधिया लगाकर लूटकारित की गई। जिसमें उसकी मोटरसाईकिल नोकिया मोबाईल व सोने की जंजीर लूटी गई। किन्तु वह लूट की घटना आरोपीगण के द्वारा कारित की गई, ऐसा न तो अ०सा०-1 व अ०सा०-2 का अभिसाक्ष्य है न उनके

अभिसाक्ष्य में ऐसे तथ्य आये हैं कि जो आरोपीगण का घटना में शामिल होने की पुष्टि करते हों। जो पुलिया फरियादी राजवीरिसंह अ०सा०—1 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में बताई गई है और प्र०पी०—1 की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था उसके आधार पर भी विचाराधीन आरोपियों का लूट की घटना को अंजाम दिया जाना नहीं माना जा सकता है।

- 14. सोवरनसिंह अ०सा०–2 अनुश्रुत साक्षी की हैसियत रखता है जिसके अभिसाक्ष्य से भी केवल लूट की घटना की ही पुष्टि होती है और अ०सा०–6 एवं ७ के अभिसाक्ष्य से भी केवल इसबात की ही पुष्टि होती है कि राजवीरसिंह के साथ जो लूट की घटना दिनांक 29.04.11 को घटी थी वह तीन लोगों के द्वारा कारित कर दी गई थी। और जिस स्थान पर अर्थात् ग्राम बरौना से बाराहेड के बीच में की गई। वह स्थान घटना दिनांक को मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना कमांक—एफ— 91.07.81 बी—21 दिनांक 19.05.1981 की अनुसूची के कॉलम कमांक—2 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के प्रभावशील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था। इसलिये डकैती प्रभावित क्षेत्र में लूट की घटना हुई। किन्तु आरोपीगण के द्वारा ही की गई ऐसा अ०सा0—1, 2, 6 एवं ७ के अभिसाक्ष्य से कतई प्रमाणित नहीं होता है।
- 15. अब प्रकरण में यह देखना है कि क्या जो शेष साक्षी अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये हैं उनसे आरोपीगण का सुसंगत लूट की घटना में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल होना युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है। प्रकरण में फरियादी राजवीरसिंह अ०सा0—1 के द्वारा लूट की घटना में मारपीट की कोई घटना नहीं होना बताया गया है न उसे कोई चोट आने का प्रममाण अभिलेख पर है इसलिये लूट की घटना में मृत्यु या घोर उपहित कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट किया जाना कर्ताई प्रमाणित नहीं होता है। इसलिये आरोपीगण को धारा—397 सहपिटत धारा—34 भा०द०वि० के तहत विरचित आरोप कर्ताई प्रमाणित नहीं होता है।
- अन्य परीक्षित साक्षियों में से बलवीरसिंह अ0सा0—3 जो कि जप्ती पत्र 16. प्र0पी0-2 ए का पंच साक्षी है, उसने अपने अभिसाक्ष्य में प्र0पी0-2 की जप्ती का कोई समर्थन नहीं किया है और वह पक्ष विरोधी घोषित हुआ है। उसने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि दिनांक 14.11.11 को थाना प्रभारी आर0एस0 भदौरिया के द्वारा उसके सामने आरोपी रामनिवास से 500 / –रूपये का नोट जप्त किया गया था। जिसका प्र0पी0–2 का जप्ती पत्रक बनाया गया था जिस पर उसने हस्ताक्षर किये। बल्कि वह पुलिस द्वारा कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लेना बताता है। इस तरह से अ0सा0-3 ने कोई समर्थन नहीं किया है जबकि आरोपी रामनिवास को फरियादी राजवीर और उसका भाई सोवरनसिंह मजीद कथन प्र0पी0-6 व 7 के आधार पर तथा उसके आधार पर की गई गिरफ्तारी पश्चात पुलिस अभिरक्षा में लिये गये मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0–4 के आधार पर प्र0पी0–2 ए मुताबिक की गई जप्ती पर से आरोपी बनाया गया है। और प्र0पी0–4 के आधार पर ही आरोपी वकील उर्फ वकीला को आरोपी बनाया गया था जिसके संबंध में अभिलेख पर जो अन्य साक्ष्य है, उसमें प्र0पी0–2 ए के संबंध में अन्य पंच साक्षी आरक्षक शिवराम अ0सा0–9 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने दिनांक 15.11.11 को थाना एण्डोरी में ही पदस्थ रहते हुए आर०एस० भदौरिया दरोगा जी के द्वारा अप०क०–57 / 11 के आरोपी रामनिवास के कब्जे से उसके मकान से काले रंग का पर्स जिसमें 500 / – रूपय का एक फटा नोट भी रखा था, उसे प्र0पी0—2 ए के मुताबिक जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया था। किन्तु उक्त साक्षी को यह जानकारी नहीं है कि आरोपी रामनिवास के मकान का दरवााजा किस दिशा में है। वह यह कहता है कि आरोपी मेनगेट के अंदर कमरे में रखे बक्से में से पर्स निकालकर लाया था। और यह भी कहता है कि दरोगा जी ने रामनिवास के मकान के अंदर जाने के पहले स्वयं की तलाशी साथ गये पुसि बल में एएसआई सुभाष पाण्डे और आरक्षक विश्वनाथ को दी थी। फटे हुए नोट का नंबर वह नहीं बता कसता है।

- 17. प्र0पी0-2 के संबंध में घटना की विवेचना करने वाले आर0एस0 भदौरिया अ0सा0-8 का कहना है कि वह थाना प्रभारी एण्डोरी के पद पर पदस्थ था और उसने अप0क0-57/11 की विवेचना की थी। प्र0पी0-2 ए के जप्ती पत्र के संबंध में उसका यह कहना रहा है कि दिनांक 15.11.11 को रामनिवास की निशादेही पर गवाहों के समक्ष काले रंग का रैगजीन का पर्स जिसमें 500/-रूपये का एक फटा हुआ नोट रखा था, आरोपी के घर से जप्त किया था और जप्ती बनाई थी। यह स्वीकार किया है कि जप्त किये गये पर्स की शिनाख्त फरियादी राजवीर से नहीं कराई तथा जो पर्स जप्त हुआथा वह पर्स बाजार में खुले रूप में बिकते हैं।
- प्र0पी0-2 ए के जप्ती पत्रक का अवलोकन किया जाये तो एक काले रंग का 18. रैगजीन का पुराना पर्स जिसमें 500 रूपये का नोट फटा हुआ रखा था, आरोपी रामनिवास के मकान के कमरे में ग्राम खुड़ी थाना सिहोनियाँ से जप्त करना बताया है किन्तु उसका समर्थन बलवीरसिंह अ०सा०–3 ने नहीं किया है। रामनिवास अ०सा०–9 विवेचक का अधीनस्थ सिपाही था। आरोपी के घर विवेचना के दौरान वास्तव में गया इस बारे में कोई रोजनामचासान्हा पेश नहीं किया गया है और अ0सा0-9 को यह जानकारी न होना कि आरोपी रामनिवास के मकान का दरवाजा किस दिशा में है न ही उसने आरोपी के गांव का नाम बताया है। ऐसे में उसका वास्तव में आरोपी के घर साथ में जाने की पृष्टि नहीं मानी जा सकती है तथा जो काले रंग का रैगजीन का पर्स जप्त करना बताया है उसका जप्ती पत्रक में कोई आकार प्रकार नहीं बताया है। फटा हुआ एक मात्र नोट जप्त करना बताया गया है किन्तु एकमात्र नोट की दशा में उसका सीरीज नंबर जप्ती पत्रक में लिखा जा सकता था वह भी नहीं लिखा गया। यदि ऐसा अ०सा०–८ व 9 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित मान भी लिया जावे कि आरोपी रामनिवास से प्र0पी0–2 ए के जप्ती पत्रक मुताबिक काले रंग के रैगजीन के पर्स और 500 रूपये के फटे नोट की जप्ती हुई थी तब भी लूट में रूपये नहीं गये थे, काले रंग का पर्स स्वयं आरोपी का भी हो सकता है। उक्त जप्ती प्र0पी0–4 के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर की गई थी और प्र0पी0-4 में इस बात का भी उल्लेख था कि जो सोने की जंजीर लूटी गई थी उसे आरोपी वकीला ने 20 हजार रूपये में किसी को बेच दिया था जिसमें से पांच हजार रूपये हिस्से में रामनिवास को मिले। इस आधार पर जिस व्यक्ति को जंजीर बेची गई थी उसके बारे में अनुसंधान किया जाना चाहिए था और लूट, चोरी का माल खरीदने वाले के विरुद्ध भी कार्यवाही करनी चाहिए थी या उसे साक्षी के रूप में अनुसंधान में शामिल किया जाना चाहिए था। जबकि ऐसा भी नहीं किया गया, यह संदेह उत्पन्न करता है। तथा इस आशय की कोई साक्ष्य नहीं है कि जो 500रूपये का फटा हुआ नोट बरामद हुआ वह आरोपी रामनिवास को जंजीर विक्रय के बाद मिले हिस्से में से ही बचा था। बल्कि प्र0पी0-4 का अवलोकन किया जाये तो उसमें जंजीर बेचने के बाद रामनिवास के हिस्से में तो 500 रूपये मिलना बताये गये हैं और पर्स व नगद 750 / – रूपये रामनिवास ने अपने पास होना बताये हैं साथ ही 5250 / – रूपये खर्च कर लेना भी बताया है। इस हिसाब से तो रामनिवास को हिस्से में छः हजार रूपये मिलना चाहिए थे जिससे अभियोजन का अनुसंधान सुदृढ़ और स्पष्ट होना परिलक्षित नहीं होता है तथा जप्त नोट और पर्स के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि आरोपी रमानिवास लूट की घटना में शामिल रहा। इसलिये प्र0पी0-2 ए को प्रमाणित मानने से भी घटना कतई प्रमाणित नहीं सकती है। क्योंकि पर्स और रूपये किसी के पास भी उपलब्ध हो सकते हैं
- 19. अन्य परीक्षित साक्षियों में से आरक्षक विश्वनाथ अ०सा०–4 और आरक्षक देवेन्द्रसिंह अ०सा०–5 दोनों ही प्र०पी०–3 व 4 के दस्तावेजों के पंच साक्षी हैं जिनके द्वारा आरोपी रामनिवास का दिनांक 14.11.11 को गिरफ्तार किया जाना और पूछताछ कर धारा–27 साक्ष्य विधान के तहत उसका मेमोरेण्डम कथन लेते हुए वस्तुओं की बरामदगी के लिये डिस्कवरी बताई

गई है। जो कार्यवाही तत्कालीन थाना प्रभारी आर0एस0 भदौरिया अ0सा0–8 के द्वारा किया जाना बताई गई है। अ0सा0–8 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि दिनांक 14.11.11 को उसने साक्षी / फरियादी राजवीरसिंह और सोवरनसिंह के मजीद कथनों में आरोपी का नाम आने के आधार पर उसकी प्र0पी0-3 के द्वारा औपचारिक गिरफतारी की थी। प्र0पी0-3 के अनुसार थाना गोहद चौराहा से फार्मल गिरफ्तारी बताई गई है किन्तु थाना गोहद चौराहा के किस आरोप में पुलिस अभिरक्षा में था, इसका भी कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है। दिनांक 14.11.11 की न्यायालय की अप०क०–57/11 की बण्डल फाईल (रिमाण्ड प्रपत्र) के अवलोकन से उसे पुलिस अभिरक्षा में थाना एण्डोरी को दिया गया है। थाना गोहद चौराहा के अपराध का उसमें भी खुलासा नहीं हुआ है। प्र0पी0-4 के अनुसार जो डिस्कवरी बताई गई है उसमें ही रामनिवास से पर्स और उसमें से 500 रूपये का फटा हुआ नोट बरामद होना उपरोक्तानुसार विश्लेषण मुताबिक प्रमाणित नहीं होता है। दोनों ही दस्तावेज प्र0पी0-3 व 4 के पंच यसाक्षी विवेचक के अधीनस्थ पदस्थ रहे हैं। तथा प्र0पी0–3 व 4 की कार्यवाही के संबंध में भी कोई रोजनामचासान्हा अभिलेख पर नहीं है इसलिये प्र0पी0–3 व 5 के दस्तावेजों को अ0सा0–4, 5 एवं 8 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। और बचाव पक्ष का यह तर्क रहा है कि पुलिस पुलिस ने अपने ही पुलिस साक्षियों की सहायता लेकर थाने पर बैठकर झूंठी कार्यवाही की है। आरोपीगण ने कोई घटनाकारित नहीं की, उसे बल मिलता है।

- 20. जहाँ तक आरोपी वकीला उर्फ वकीलिसंह का प्रश्न है, जिसे प्र0पी0—5 मुताबिक दिनांक 15.12.11 को प्र0पी0—4 के मेमोरेण्डम कथन में नाम आने के आधार पर आरोपी बनाया गया और उसे फरार दर्शाते हुए प्र0पी0—5 का फरारी पंचनामा बनाया जैसा कि अ0सा0—8 का कहना है। किन्तु प्र0पी0—4 का विधिक बल इस साक्ष्य से ही समाप्त हो जाता है कि स्वयं फिरियादी राजवीर अ0सा0—1 के द्वारा यह स्पष्ट रूप से न्यायालय में साक्ष्य देते समय आरोपी को देखने के बाद कहा गया था कि उक्त व्यक्ति उसके साथ हुई लूट की घटना में शामिल नहीं था तथा मामले में आरोपी वकील उर्फ वकील सिंह का कोई गिरफ्तारी पश्चात मेमोरेण्डम कथन नहीं लिया गया न उससे कोई वस्तु की बरामदगी हुई। जबिक यदि प्र0पी0—4 को आरोपीगण के अभियोजित करने का आधार माना जावे तो आरोपी वकीला उफ वकील से लूट की बताई गई जंजीर के विक्रय के संबंध में डिस्कवरी की जानी चाहिए थी। उसने किसको जंजीर को बेचा, कितने रूपये में बेचा, और उन रूपयों का क्या हुआ, इस बारे में भी कोई विवेचना नहीं हुई। न ही प्र0पी0—3 लगायत 9 को प्रमाणित माना जा सकता है। यदि औपचारिक गिरफ्तारी को स्वीकार कर भी लिया जावे तब भी उससे घटना संदेह से परे प्रमाणित नहीं मानी जा सकती है। इस दृष्टि से अभियोजन का संपूर्ण मामला निर्बल हो जाता है।
- 21. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवश्यक साक्ष्य के अभाव में अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 29.04.11 को फरियादी राजवीरसिंह की लूट करने का आपस में मिलकर कोई सामान्य आशय निर्मित किया और उसे अग्रसर करते हुए ही ग्राम बरौना बाराहेट के बीच आम रास्ते पर रोककर उसके साथ अवैध आग्नेय शस्त्र का उपयोग करते हुए मोटरसाईिकल, सोने की चैन व मोबाईल फोन की लूट कारित की। फलतः आरोपीगण को धारा—392/397/34 भा0द0वि0 सहपिवत धारा—11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।
- 22. प्रकरण में आरोपी वकीला उर्फ वकीलिसिंह के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 23. आरोपी रामनिवास न्यायिक निरोध में है अतः उसके जेल वारण्ट पर नोट लगाया जावे कि आरोपी को इस प्रकरण में दोषमुक्त किया जा चुका है अतः उसके विरूद्ध अन्य प्रकरण

लंबित न हो तो उसे अविलंब रिहा किया जावे।

24. प्रकरण में जप्तशुदा 500 / — रूपये का फटा नोट व पर्स आरोपी रामनिवास के कब्जे से लेना बताया गया है जो उपरोक्तानुसार विवेचना में फरियादी का होना नहीं पाया गया है अतः अपील अवधि उपरान्त आरोपी रामनिवास पुत्र कल्याणसिंह गुर्जर निवासी खुडी थाना सिहोनियाँ को वापिस किया जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

25. आरोपीगण के धारा-428 दप्रसं के प्रमाण पत्र तैयार किये जावें।

26. निर्णय की एक प्रति डी०एम० भिण्ड की ओर भेजी जावे।

दिनांकः **22 मार्च 2016**

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश डकैती, गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश डकैती, गोहद जिला भिण्ड

